न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
पीठासीन अधिकारी :– कुणाल राहड़, आर0ए0एस0

वाद सं :: 166/2024
जीसीएमएस सं0 2024/318

मुरारीलाल पुत्र छोटूराम जाति बलाई नि0 पलसाना तह0 दांतारामगढ़,सीकर।

– वादी,

बनाम

1. गिरधारी पुत्र भूदाराम जाति बलाई नि0 भगतपुरा तह0 दांतारामगढ़,सीकर।
2. दिनेश कुमार पुत्र बाबर पुत्र केशरदेव जाति बलाई नि0 पिपराली तह0 जिला सीकर।
3. बिदामी पत्नि राजू जाति बलाई नि0 ग्राम मदनी तह0 दांतारामगढ़,जिला सीकर।
4. संतोष देवी पत्नि कालूराम जाति बलाई नि0 ग्राम मदनी तह0 दांतारामगढ़,सीकर
5. बडौदा राज0 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मंढा मदनी जरिये शाखा प्रबन्धक।
6. तहसीलदार, दांतारामगढ़, तह0 दांतारामगढ़ जिला सीकर।

– प्रतिवादीगण

उपस्थित :– . 1. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत,वकील वादी की ओर से।
2. ,, जयप्रकाश सैनी, प्रति.सं0 1, 3, 4 की ओर से।

दावा बाबत बंटवारा तथा स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

निर्णय दिनांक :: 22.04.25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि कृषि भूमियां ख0नं0 487 रकबा 0.4800 है0 ख0नं0 488 रकबा 0.4400 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.9200 है0 वाके ग्राम मदनी प0ह0 मंढा मदनी तहसील दांतारामगढ़,सीकर की तन में स्थित है। वर्णित भूमियां वादी व प्रति0सं0 1 ता 4 की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमियां है, जिसमें वादी एंव प्रति0सं0 1 प्रत्येक का हिस्सा 1/4,1/4, प्रति0सं0 2 का 3/8, प्रति0सं0 3 का 207/2456 तथा प्रति0सं0 4 का 25/614 हक हिस्सा एंव कब्जा काश्त है तथा इसी अनुरूप मौके पर अंदाज से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी ने वाद पत्र पेश कर वाद की मद सं0 11 की उप मद क,ख,ग,घ अनुसार वाद डिक्री करने हेतु निवेदन किया है।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किये जाने पर प्रति0सं0 1,3, 4 की ओर से वकील श्री जयप्रकाश सैनी उपस्थित आए। प्रति0सं0 2 की तामील पत्नी पर हुई। प्रति0सं0 5 व 6 बावजूद तामील के हाजिर नहीं आने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

Scanned with CamScanner

अमल में लाई गई। प्रकरण में उभय पक्ष को सुना गया। सुनवाई के दौरान वकील उभय पक्ष ने प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी करने हेतु सहमति जाहिर की तथा आर्डरशीट पर हस्ताक्षर किये। प्रकरण में दिनांक 21.01.2025 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार, दांतारामगढ़ से विभाजन प्रस्ताव चाहे जाने पर तहसीलदार, दांतारामगढ़, सीकर ने जरिये पत्रांक भू0अ0/2025/1599 दिनांक 08.04.2025 से विभाजन प्रस्ताव भिजवाये है। वकील वादी एंव प्रतिवादीगण ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अनुसार फाईनल डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील वादी सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, रिपोर्ट तहसीलदार, दांतारामगढ़ पत्रांक भू0अ0/2025/1599 दिनांक 08.04.2025 का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित भूमियां संयुक्त खातेदारी की भूमिया है तथा वादीगण अपने हक हिस्से के अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है। विवादित भूमियों का विधिवत रूप से बंटवारा नहीं हुआ है तथा तहसीलदार,दांतारामगढ़ द्वारा जरिये पत्रांक भू0अ0/2025/1599 दिनांक 08.04.2025 से विभाजन प्रस्ताव भिजवाये है, जिसपर वकील वादी एंव प्रतिवादीगण ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अनुसार फाईनल डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार, दांतारामगढ़ के अनुसार फाईनल डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार, दांतारामगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पत्रांक भू0अ0/2025/1599 दिनांक 08.04.2025 फाईनल डिक्री का पार्ट रहेगा। कृषि भूमियां ख0नं0 487 रकबा 0.4800 है0 ख0नं0 488 रकबा 0.4400 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.9200 है0 वाके ग्राम मदनी प0ह0 मंढा मदनी तहसील दांतारामगढ़,सीकर में निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैः–

क.स.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1.	गिरधारी पुत्र भूदाराम हि0 1/2 जाति बलाई सा0 भगतपुरा तहसील दांतारामगढ़ व मुरारीलाल पुत्र छोटूराम हि0 1/2 जाति बलाई सा0 पलसाना खातेदार	488 487/2	0.44 0.02	बा.3 ब. 3	1.32 0.06
		कुल किता 2	0.46	–	1.38
.2.	दिनेश कुमार बाबत पुत्र केशर देव हि0 345/460 जाति बलाई सा0 पिपराली खातेदार, बिदामी पत्नी राजू हि0 775/4600 जाति बलाई सा0 देह रहिन बड़ौदा राजस्थान	487/1	0.46	–	1.38
		कुल किता1	0.46	–	1.38
3.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मंढा (मदनी) संतोष पत्नी कालूराम हि0 375/4600 जाति बलाई सा0 देह खातेदार	–	–	–	–

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

Scanned with CamScanner

तहसीलदार, दांतारामगढ़,सीकर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करावे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील कागजात दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर (मु0) सीकर

निर्णय आज दिनांक 22.04.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु0) सीकर

Scanned with CamScanner